

बिहार सरकार  
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

ए.ए.  
प्रेषक, १

अंजनी कुमार सिंह,  
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव,  
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक 24/10/2014

विषय -

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विभागीय संचिका में दिए गए आदेश/निदेश से संबंधित विभागीय मंत्री को अवगत कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्यपालिका नियामवली के नियमों के आलोक में कतिपय मामलों में मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को विभिन्न विभागों, द्वारा संचिकाएँ उपस्थापित की जाती है। इस संबंध में ऐसे कई दृष्टान्त सामने आए हैं कि कुछ विभागों की संचिका में माननीय मुख्यमंत्री के आदेश/निदेश के बाद मुख्य सचिव स्तर से संबंधित विभाग को जब संचिका वापस होती है तो, उक्त आदेश/निदेश से विभागीय मंत्री को अवगत नहीं कराया जाता है; जिसके कारण विभागीय मंत्री को विषयवस्तु की जानकारी नहीं हो पाती है।

अतः, निदेश दिया जाता है कि जिन विभागों की संचिका माननीय मुख्यमंत्री के आदेश/निदेश के बाद मुख्य सचिव के स्तर से विभाग को वापस होती है वैसे मामलों में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये आदेश/निदेश से संबंधित संचिका में दिये गये आदेश/निदेश से विभागीय मंत्री को भी अवगत कराने के बाद ही उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

अंजनी कुमार सिंह  
22/10/14  
(अंजनी कुमार सिंह)  
मुख्य सचिव, बिहार

बिहार सरकार  
विधि विभाग

ज्ञाप सं०-बी०/स्था०(विविध)-20-02/14.....7860/जे०,

पटना, दिनांक-21/11/14

प्रतिलिपि:-सभी पदाधिकारीगण एवं सभी सहायक, विधि विभाग, बिहार, पटना तथा आई०टी० प्रबंधक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई०टी० प्रबंधक को निदेश दिया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड करें।

सुरेन्द्र कुमार  
20/11/14  
(सुरेन्द्र कुमार)

मुख्य सचिव के अवर सचिव, बिहार।  
20/11/14